

सदा तत्त्व की ओर अकुल अकोसनी, दिल्ली १०२.
प्राप्ति नं. ४८१-८-१५

(33)



रामधिलाल पटेल तनय स्व० जमुना प्रसाद पटेल निवासी ग्राम रामनगर
तहसील बुरहट, जिला सीधी म०प्र०
बनाम

.... अनावेदन

१. मुस० केमली वेदा पत्नी परमेश्वरदीन कुम०
२. बालमीकि तनय परमेश्वरदीन कुम०
३. अख्य कुमार तनय परमेश्वरदीन कुम०
४. हरीरालाल तनय परमेश्वर दीन कुम०
५. राजभीन तनय परमेश्वरदीन कुम०
६. दिवाकर पिता परमेश्वरदीन कुम०
७. मुस० वेदा गुलाबवती पत्नी स्व० वंशबहादुर
८. सुर्खित तनय स्व० वंशबहादुर
९. दूर्घ इन्द्रजीत तनय वंशबहादुर
१०. रामलाल तनय नर्मदा प्रसाद कुम०

दृष्टि क्रम ४-८-१५ को
स्थान के लिए आमंत्रण किया
बनाम /

Face
4-8-15
SO

सभो निवासी ग्राम रामनगर, तहसील बुरहट, जिला सीधी म०प्र०

११. म०प्र० शासन

.... अनावेदकण

रामनेश्वर
२९/५/१२

मिलनी

प्रथम अदेश विलद न्यायालय क्रीमाच
अपर कोटकटर महोदय सीधी म०प्र० छदारा
प्रकरण क्रमांक ३४४/निवासी/२०११-१२ अदेश
दिनांक ११.०५.२०१२ अन्तर्गत धारा -५०
म०प्र० शूराजस्व लोडिता १९५०

मान्यवर,

मूद्दम तथ्य :---

यह कि उत्तरवादो गण छदारा ग्राम क्षुरी एवं गन्नोर छहसील
बुरहट, जिला सीधी छदारा झपेलाई के एकान्तिक स्वत्व आधिकार्य की
ग्राम गन्नोर एवं क्षुरी स्थित आरामी रक्खा ८.२.६ है। जिसमें उत्तर
वादी गण का कोई हक, दित स्वत्व क्षेत्र दखन नहीं है, ना ही उह याते

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2481—दो / 2015

जिला— सीधी

रामाभिलाष पटेल विरुद्ध मुस. केमली आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/02/2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण क्रमांक 344/निग./2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 11–05–2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;">(आर.के.जैन) सदस्य 18/02/2019</p>	